न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 38/2025

वादी :–

उमादेवी पुत्री केवलचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज. हालमुकाम मकान नं. 14–3–332/ई/बी ज्ञानबाग कॉलोनी घोडे की कब्र हैदराबाद, तेलंगाना

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. अमरचन्द पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. ओमप्रकाश पुत्र केवलचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल मुकाम मकान नं. 15–1–388 फीलखाना हैदराबाद, तैलगांना
3. केसीदेवी पत्नी भीकाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. निरंजनदत पुत्र गुरूदत जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. प्रेमलता पुत्री गुरूदत जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. प्रेमलता पुत्री केवलचन्द जाति ब्रहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
7. महेश कुमार पुत्र केवलचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज. हालमुकाम मकान नं. 15–1–388 फीलखाना हैदराबाद तैलंगाना
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामाराम जाति ब्रहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
9. विजयलक्ष्मी पुत्री गुरूदत
10. शशिरंजनदत पुत्र गुरूदत
11. शिवरंजनदत पुत्र गुरूदत
12. सत्यनारायण पुत्र मदनलाल
13. गायत्री जोशी पुत्री केवलचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हालमुकाम मकान नं. 15–3–135/3 चाकनावाडी हजारी भवन गोशा महल के पास हैदराबाद तैलंगाना
14. देवीलाल पुत्र भोलाराम
15. नर्बदा पत्नी भीवराज
16. रुपचन्द पुत्र भीवराज
17. सत्यनारायण पुत्र भीवराज
18. सीताराम पुत्र भोलाराम
19. हीरालाल पुत्र भीवराज जातियान ब्राहमण निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

20. रामजीवनीदेवी पत्नी केवलचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज.हालमुकाम मकान नं. 15-1-388 फीलखाना हैदराबाद तैलंगाना
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा
22. उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयक कार्यालय बिलाडा।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :-वादी - श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 2,6,7,13,20 - श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता।
प्रति.सं. 1,3 से 5,8 से 12,14से 19 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 21 व 22- सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :-** 08/04/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 12 के नाम की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पिचियाक, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नंबर 697 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा नंबर 873 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा नंबर 885 रकबा 0.3883 हैक्टयर, खसरा नंबर 899 रकबा 0.7362 हैक्टयर कुल खसरा सं. 4 कुल रकबा 1.1974 हैक्टयर आयी हुयी है। जिसके खाता सं. 266 जमाबंदी संवत् 2073-76 के अनुसार है जिसमें वादी का 1/48 हिस्सा निहित व दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबंदी संवत् 2073-76 की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है उपरोक्त भूमि को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से संबोधित किया जायेगा। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 6,7 व 13 से 20 के नाम की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम जसवंतपुरा हल्का पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नंबर 210 रकबा 0.5178 हैक्टयर आयी हुयी है। जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा निहित व दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबंदी संवत् 2073-76 की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी संयुक्त खातेदारी की होने से तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त होने के कारण तथा वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करवाये जाने हेतु बार-बार निवेदन किये जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के निवेदन को मानने से इंकार करने पर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि ए व बी का जरिये मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने की वादी अधिकारी है। इस हेतु यह वाद बाबत बंटवाडा हेतु श्रीमान के समक्ष पेश है। प्रतिवादीगण बिना किसी जायज आवश्यकता के वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी को बैचान करने हेतु अनजबी क्रेतागण को दिनांक 26.12.2024 को मौका दिखाने हेतु आने पर तथा वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी बैचान करने से प्रतिवादीगण को मना करने पर तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की बात को ना मानकर उल्टा वादी को एलानिया धमकिया दी कि प्रतिवादी सं. 1 से 20 अपने हिस्से की भूमि को पडौस दर्शाते हुए बिना वादी की सहमति के बैचान करके रहेगे। इसलिए इन्हे वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी का बैचान किये जाने से रोकने हेतु प्रतिवादी सं. 1 से 20 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान के समक्ष पेश है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

अन्त में निवेदन है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ए खसरा नंबर 697 रकबा 0.

0405 हैक्टयर, खसरा नंबर 873 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा नंबर 885 रकबा 0.3883 हैक्टयर, खसरा नंबर 899 रकबा 0.7362 हैक्टयर कुल खसरा सं. 4 कुल रकबा 1.1974 हैक्टयर में स्थित वादी के 1/48 हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जावे व प्रतिवादी सं. 21 को यह आदेशित किया जावे कि राजस्व रेकर्ड में नक्शे में अमल दरामद करावें। ग्राम जसवन्तपुरा पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के सरहद में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि बी खसरा नंबर 210 रकबा 0.5178 हैक्टयर में स्थित वादी के 1/12 हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जावे व प्रतिवादी सं. 21 को यह आदेशित किया जावे कि राजस्व रेकर्ड में नक्शे में अमल दरामद करावे। प्रतिवादी सं. 1 से 20 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में वादी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करे तथा बिना बंटवाडा कराये किसी अन्य को पडौस दर्शाते हुए बैचान नहीं करें। अन्य अनुतोष जो वादी पाने का अधिकारी हो वादी के पक्ष में डिक्री सादिर फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 19.11.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम पिचियाक की सरहद में स्थित खसरा नंबर 697 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा नंबर 873 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा नंबर 885 रकबा 0.3883 हैक्टयर, खसरा नंबर 899 रकबा 0.7362 हैक्टयर कुल खसरा सं. 4 कुल रकबा 1.1974 हैक्टयर व राजस्व ग्राम जसवन्तपुरा हल्का पिचियाक के स्थित खसरा नंबर 210 रकबा 0.5178 का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से का नियमानुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकवा(हैक्ट)
1	उमादेवी पुत्री केवलचन्द जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार	899 885	0.0158 0.0096
	कुल खसरा	2	0.0249
2	अमरचन्द पुत्र मदनलाल 2306/8044 हि. ओमप्रकाश पुत्र केवलचन्द 249/8044 हि., महेशकुमार पुत्र केवलचन्द 998/8044 हि., सत्यनारायण पुत्र मदनलाल 1497/8044 हि., लक्ष्मीनारायण पुत्र रामाराम 499/8044 हि., निरजंनदत, शशिरंजनदत, शिवरंजनदत प्रेमलता, विजयलक्ष्मी पि. गुरूदत (499/8044 हि. प्रत्येक का) जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार	697 873 885 899	0.0405 0.0324 0.3787 0.3528
	कुल खसरा	4	0.8044
	मदनलाल पुत्र दानाराम 1/2 हि. दिनेश पुत्र मदनलाल पंवार 1/2 हि. जाति माली सा.देह खातेदार	899	0.3681
3	उमादेवी पुत्री केवलचन्द जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार	210	0.0431
4	ओमप्रकाश पुत्र केवलचन्द 43167/51780 हि., गायत्री जोशी पुत्री केवलचन्द 43167/517800 हि., रामजीवनी देवी पत्नी	210	0.4747

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

	केवलचन्द 43166/517800हि., महेश कुमार पुत्र केवलचन्द 863/5178 हि., अमरचन्द पुत्र मदनलाल 863/5178 हि., देवीलाल पुत्री भोलाराम 4315/51780 हि., सीताराम पुत्र भोलाराम 4315/517800 हि., नर्बदा पत्नी भीवराज 21575/517800 हि. रूपचन्द पुत्र भीवराज 21575/517800 हि., सत्यनारायण पुत्र भीवराज 21575/517800 हि., हिरालाल पुत्र भीवराज 21575/517800 हि. जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार		

उक्त सारणी के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 19.11.2025 के अनुसार वादीया के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 19.11.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08/04/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीया
उमादेवी

बनाम

प्रतिवादीगण
अमरचन्द वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 38/2025

निर्णय दिनांक :- 08/04/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या 2, 6, 7 व 13 व 20 की ओर से श्री भगवती प्रसाद पटेल अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1, 3 से 5, 8 से 12, 14 से 19 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 21 व 22 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 19.11.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिष्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा